न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 188/2014 दायर दिनाँक 23.09.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लोरोली कंला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामकुवांर पुत्र उमाराम 2. जयप्रकाश पुत्र स्व0 सत्यनारायण 3. सीतादेवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण 4. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हरीराम 5. रामकिशन पुत्र स्व0 हरीराम 6. शीवला पत्नी स्व0 हरीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण लोरोली कंला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 27.12.2018

मौजा सरहद लोरोली कंला में स्थित खेत खसरा सं0 09 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद सागु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद लोरोली कंला तथा सागुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को, दिनाँक 05.04.2018 को प्राथमिक डिक्री कर, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1798 दिनाँक 24.08.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 196/2014
दायर दिनांक 20.08.2014, निर्णय दिनांक 27.12.2018
रामनिवास बनाम रामकुमार, वगैरा।

द्वारा प्रस्तावित विभाजन पत्रांक 1798 दिनांक 24.08.2018 को स्वीकार कर, इसबाबत बाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः डिक्री सादिर कर मौजा सरहद ओरोली कला में स्थित खेत खसरा सं0 02 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद साधु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद ओरोली कला तथा साधुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा, का "खाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 1798 दिनांक 24.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 1798 दिनांक 24.08.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(रतनसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(रतनसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 28/12/2018

नोट:- खसरा नं 82 रकबा 24.01 बीघा में से 21.01 बीघा [illegible] 3 बीघा [illegible] खसरा नं 02/205 रकबा 14 बिस्वा [illegible] खसरा नं 02 रकबा 23.17 बीघा में से [illegible] खसरा नं 11 [illegible] 7.11 बीघा में से 3.17 बीघा [illegible] 3.14 बीघा [illegible] [illegible]

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **188/2014** दायर दिनाँक **23.09.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लोरोली कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	**1.** रामकुवांर पुत्र उमाराम **2.** जयप्रकाश पुत्र स्व0 सत्यनारायण **3.** सीतादेवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण **4.** कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हरीराम **5.** रामाकिशन पुत्र स्व0 हरीराम **6.** शीवला पत्नी स्व0 हरीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण लोरोली कंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **7.** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **27.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्र सिंह, वकील, वादी व श्री राजेन्द्र माथुर, वकील, प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद लोरोली कंला में स्थित खेत खसरा सं0 09 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद सागु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद लोरोली कंला तथा सागुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा, का ''बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 1798 दिनाँक 24.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ ......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की तारीख को अदा करें।   बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 28/12/18

नोट:- खसरा नं 82 रकबा 24-01 बीघा में से 21-01 बीघा खातेदारी रामकुवार, तथा शेष 3 बीघा [illegible] कारी रामनिवास, खसरा नं 02/205 रकबा 14 बीघा सम्पूर्ण खातेदारी रामनिवास, खसरा नं 02 रकबा 23-17 बीघा में से 20.17 बीघा खातेदारी जयनारायण व लीलादेवी व 03 बीघा [illegible] खातेदारी रामनिवास, खसरा नं 11 रकबा 7-11 बीघा में से 3.17 बीघा [illegible] खातेदारी रामनिवास तथा शेष 3.14 बीघा खातेदारी कन्हैयालाल, रामनिवास व लीलादेवी की [illegible] तहत अनुसार घोषित किया जाता है। [illegible] निर्णय एवं डिग्री का भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **188/2014** दायर दिनाँक **23.09.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लोरोली कंला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामकुवांर पुत्र उमाराम 2. जयप्रकाश पुत्र स्व0 सत्यनारायण 3. सीतादेवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण 4. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हरीराम 5. रामाकिशन पुत्र स्व0 हरीराम 6. शीवला पत्नी स्व0 हरीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण लोरोली कंला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनाँक **05.04.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 से 06 तक एक ही पूर्वज स्व0 उमाराम से संबंधित है। स्व0 उमाराम के वादी व प्रतिवादी सं0 01 पुत्रगण व प्रतिवादी सं0 02 मृतक पुत्र स्व0 सत्यनारायण का पुत्र (स्व0 उमाराम का पौत्र), प्रतिवादी सं0 03 मृतक पुत्र स्व0 सत्यनारायण की बेवा (स्व0 उमाराम की बेवा पुत्र वधु) प्रतिवादी सं0 04 व 05 मृतक पुत्र हरीराम के पुत्रगण (स्व0 उमाराम के पौत्रगण) व प्रतिवादी सं0 06 मृतक के पुत्र हरीराम की बेवा (स्व0 उमाराम की बेवा पुत्रवधु) है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है।

वाके सरहद लोरोली कंला में स्थित खेत खसरा सं0 09 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद सागु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद लोरोली कंला तथा सागुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 के पैतृक खेताय है। जिनमें इनकी संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित सरहद लोरोली कंला व सागुखुर्द में स्थित 85 बीघा 11 बिस्वा में वादी रामनिवास का 1/4 हक हिस्सा यानि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 रामकुवांर का 1/4 हक हिस्सा यानि कि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 जयप्रकाश व प्रतिवादी सं0 03 सीतादेवी का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा यानि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 04 कन्हैयालाल प्रतिवादी सं0 05 रामाकिशन व प्रतिवादी सं0 06 शिवला का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा यानि कि 21 बीघा 7.75 बिस्वा मौजुद है।

उपरोक्त वर्णित सरहद लोरोली कंला व सागु खुर्द में स्थित 85 बीघा 11 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी स0 01 से 06 सुविधा की दृष्टि से काश्त करते आ रहे है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद लोरोली कंला में स्थित खेत खसरा सं0 09 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद सागु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद लोरोली कंला तथा सागुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा में वादी रामनिवास का 1/4 हक हिस्सा यानि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 रामकुवांर का 1/4 हक हिस्सा यानि कि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 जयप्रकाश व प्रतिवादी सं0 03 सीतादेवी का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा यानि 21 बीघा 7.75 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 04 कन्हैयालाल प्रतिवादी सं0 05 रामाकिशन व प्रतिवादी सं0 06 शिवला का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा यानि कि 21 बीघा 7.75 का कानूनन बंटवारा किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थना में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम लोरोली कंला व सागु खुर्द सम्वत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद लोरोली कंला व सागु खुर्द के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 188/2014
दायर दिनाँक 23.09.2014, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 05.04.2018
रामनिवास बनाम रामकुंवार, वगैरा।

सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा सरहद लोरोली कंला में स्थित खेत खसरा सं0 09 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा व सरहद सागु खुर्द में स्थित खेत खसरा सं0 01 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 02 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 02/205 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा सं0 11 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा सं0 82 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 84 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 74 बीघा 06 बिस्वा व सरहद लोरोली कंला तथा सागुखुर्द का कुल 85 बीघा 11 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **05.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner